

लाईन परिचारक (संविदा) के पद पर चयन एवं नियुक्ति के संबंध में महत्वपूर्ण शर्तें

शैक्षणिक योग्यता:-

- 1- उम्मीदवार दसवीं परीक्षा उत्तीर्ण एवं भारत के किसी राज्य शासन या केन्द्र शासन से मान्यता प्राप्त औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (एस.सी.व्ही.टी./एन.सी.व्ही.टी.) से विद्युतकार/लाईनमेन या वायरमेन में आई.टी.आई. प्रमाणपत्र परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। केवल आई.टी.आई. परीक्षा उत्तीर्ण उम्मीदवार ही आवेदन के लिए पात्र होंगे।

महिला उम्मीदवार जो उपर्युक्त निर्धारित योग्यता धारित करती हैं, वे भी आवेदन कर सकती हैं, तथापि कार्य में जोखिम होने के कारण आवेदन के पूर्व महिला उम्मीदवार इस पहलू पर पूर्ण विचार करें।

सामान्य व पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए आईटीआई परीक्षा के निर्धारित ट्रेड (विद्युतकार/लाईनमेन या वायरमेन) में न्यूनतम 60 प्रतिशत अंक तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के उम्मीदवारों को न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों से उत्तीर्ण होना अनिवार्य है।

उम्मीदवार को मध्यप्रदेश राज्य का मूल निवासी होना आवश्यक है। अन्य राज्य के मूल निवासी आवेदन हेतु पात्र नहीं हैं।

2. ऐसे उम्मीदवार जिन्होंने आईटीआई परीक्षा विद्युतकार/लाईनमेन या वायरमेन ट्रेड से उत्तीर्ण नहीं की है, लेकिन उच्च शिक्षा जैसे कि डिप्लोमा/डिग्री प्राप्त की है, उन्हें नियुक्ति की पात्रता नहीं होगी।

आयु सीमा:

- 3- आवेदक की आयु दिनांक 1-06-2011 को 18 वर्ष से कम एवं 30 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ावर्ग एवं भूतपूर्व सैनिक उम्मीदवारों को अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जावेगी।

- 4- ऐसे उम्मीदवार जिन्होंने अनुबंध के आधार पर म.प्र. राज्य की तीनों विद्युत वितरण कंपनियों में से किसी वितरण कंपनी में 33/11 उपकेन्द्र के आपरेटर का कार्य किया है अथवा कर रहे हैं, उन्होंने जितने पूर्ण वर्ष कार्य किया है, उतने वर्ष की अधिकतम आयु में छूट प्राप्त होगी। यद्यपि ऐसे आवेदक जिन्होंने 33/11 उपकेन्द्र के आपरेटर का कार्य 5 वर्ष से अधिक किया है, उन्हें अधिकतम आयुसीमा में 10 वर्ष की छूट होगी, तथापि आयुसीमा में यह छूट 40 वर्ष की आयु तक ही मान्य होगी। इस हेतु आवेदक को (संबंधित कनिष्ठ अभियंता/सहायक अभियंता द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित) कंपनी के साथ किये गये अनुबंध की प्रतिहस्ताक्षरित प्रति प्रस्तुत करना होगी। ऐसे उम्मीदवार जिनका कार्य संतोषजनक न पाये जाने के कारण ठेका निरस्त किया गया हो, उन्हें छूट की पात्रता नहीं होगी।

- 5- ऐसे उम्मीदवार जिन्होंने अनुबंध के आधार पर म.प्र. राज्य की तीनों विद्युत वितरण कंपनियों में से किसी वितरण कंपनी में मीटर रीडिंग का कार्य किया है अथवा कर रहे हैं, उन्होंने जितने पूर्ण वर्ष कार्य किया है, उतने वर्ष की अधिकतम आयु में छूट प्राप्त होगी। ऐसे आवेदक जिन्होंने मीटर रीडिंग का कार्य 5 वर्ष से अधिक किया है, उन्हें अधिकतम आयुसीमा में 10 वर्ष की छूट होगी, आयुसीमा में यह छूट 40 वर्ष की आयु तक ही मान्य होगी। इस हेतु आवेदक को (संबंधित कनिष्ठ अभियंता/सहायक अभियंता द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित) कंपनी के साथ किये गये अनुबंध की प्रतिहस्ताक्षरित प्रति प्रस्तुत करना होगी। ऐसे उम्मीदवार जिनका कार्य संतोषजनक न पाये जाने के कारण ठेका निरस्त किया गया हो, उन्हें छूट की पात्रता नहीं होगी।

- 6- म.प्र. राज्य विद्युत मण्डल/उत्तरवर्ती कंपनियों में कार्य के दौरान मृत कर्मचारियों के आश्रितों को अधिकतम आयुसीमा में 5 वर्ष की छूट दी जावेगी। इस हेतु आवेदक को अनुकंपा नियुक्ति के लिए दिए गए आवेदन के संबंध में पावती की एक प्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। साथ ही उन्हें इस आशय का शपथपत्र संलग्न करना होगा कि - उम्मीदवार मृतक कर्मचारी का आश्रित है।

उम्मीदवार को उपर्युक्त कंडिका 4, 5 एवं 6 के अंतर्गत आयुसीमा में छूट की पात्रता होने की दशा में किसी एक कंडिका के प्रावधानों के अनुसार अधिकतम आयुसीमा में छूट का लाभ दिया जावेगा।

आवेदन की प्रक्रिया:

- 7- आवेदन पत्र एमपी ऑनलाईन के माध्यम से आमंत्रित हैं। अनारक्षित एवं पिछड़ावर्ग के उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क ₹.250/ (रुपये दो सौ पचास मात्र) निर्धारित है। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को आवेदन शुल्क से छूट होगी। यह रिक्तियाँ म.प्र. पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के लिए हैं अतः उम्मीदवार की नियुक्ति हेतु मध्यप्रदेश की किसी अन्य विद्युत वितरण कंपनी में नियुक्ति हेतु विचार नहीं किया जावेगा।

चयन प्रक्रिया:

अर्हकारी परीक्षा में प्राप्तांक (आईटीआई विद्युतकार/लाईनमन या वायरमेन ट्रेड)
शारीरिक दक्षता परीक्षण (सफलतापूर्वक पूर्ण करना)

- 8- प्राप्त आवेदनों में से आई.टी.आई. (विद्युतकार/लाईनमन/वायरमेन ट्रेड) में प्राप्त अंकों के आधार पर प्रावीण्य सूची (मैरिट लिस्ट) बनायी जावेगी एवं आवश्यकतानुसार पदों पर भर्ती हेतु उम्मीदवारों को प्रावीण्य सूची (मैरिट लिस्ट) अनुसार शारीरिक दक्षता परीक्षण हेतु बुलाया जायेगा। शारीरिक दक्षता परीक्षण सफलतापूर्वक उत्तीर्ण करने वाले उम्मीदवार को नियुक्त किया जावेगा।
- 9- ऐसे आवेदक जिन्होंने विद्युत वितरण कंपनियों में ठेके पर मीटरवाचक या 33/11 उपकेन्द्र के संचालन (आपरेटर) का कार्य किया है, को कार्य के प्रत्येक पूर्ण वर्ष पर 2 प्रतिशत की दर से भार (weightage) दिया जावेगा, जो कि अधिकतम 10 प्रतिशत होगा, परन्तु ऐसे आवेदक जिनका कार्य संतोषजनक न पाये जाने के कारण ठेका निरस्त किया गया हो, को छूट की पात्रता नहीं होगी। भार (weightage) की पात्रता केवल ऐसे आवेदकों को होगी जो शैक्षणिक योग्यता, आयु एवं मूल निवासी आदि शर्तों को पूर्ण करते हैं।
- 10- म.प्र. राज्य विद्युत मण्डल में कार्य के दौरान मृत कर्मचारियों के आश्रितों को निर्धारित शैक्षणिक योग्यता संबंधी परीक्षा में 5 प्रतिशत भार (weightage) दिया जावेगा। भार (weightage) की पात्रता केवल ऐसे अभ्यर्थियों को होगी जो न्यूनतम अर्हकारी अंक, आयु एवं मूल निवासी आदि शर्तों को पूर्ण करते हैं।
- 11- उम्मीदवार को उपर्युक्त कंडिका 9 एवं 10 के अंतर्गत पात्रता होने की दशा में किसी एक कंडिका के प्रावधानों के अनुसार भार (weightage) का लाभ दिया जावेगा।
12. शैक्षणिक योग्यता के आधार पर चयनित अभ्यर्थियों को पहले शारीरिक दक्षता परीक्षण में निम्न परीक्षण उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा:
 - (1) निम्नदाब लाईन के खम्बे पर सीढ़ी की सहायता से टूल-किट लेकर 2 मिनट में चढ़ना एवं उतरना
 - (2) 15 कि.ग्रा. वजन लेकर 10 मिनट में 1 कि.मी. पैदल चलना।

कंपनी में उम्मीदवार का अंतिम चयन, शैक्षणिक योग्यता एवं शारीरिक परीक्षण में पृथक-पृथक सफलता के पश्चात तैयार की गई प्रावीण्य सूची (मैरिट लिस्ट) के आधार पर किया जावेगा।

आरक्षण:

- 13- मध्यप्रदेश राज्य के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को म.प्र. राज्य शासन के समतुल्य रोस्टर प्रणाली के अनुसार आरक्षण की पात्रता होगी।
- 14- आरक्षण का लाभ प्राप्त करने हेतु उम्मीदवार को संबंधित क्षेत्रीय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

पात्रता के संबंध में सामान्य शर्तें:

- 15- ऐसे उम्मीदवार जो किसी शासकीय/अर्धशासकीय या सार्वजनिक उपक्रम में कार्यरत हैं, यदि शिक्षा एवं, आयु संबंधी मापदण्ड पूर्ण करते हैं, ऐसे आवेदक उचित माध्यम से आवेदन प्रस्तुत करें, अन्यथा उम्मीदवार की उम्मीदवारी पर विचार नहीं किया जावेगा।
- 16- ऐसे उम्मीदवार जिन्हें दिनांक 26.1.2001 अथवा उसके बाद तृतीय संतान की प्राप्ति हुई हो, को आवेदन की पात्रता नहीं है।
- 17- आवेदक को पूर्णतः स्वस्थ होना आवश्यक है।

प्रशिक्षण:

- 18- शारीरिक दक्षता परीक्षण के उपरांत अंतिम रूप से चयनित उम्मीदवारों को संविदा पर लाईन परिचारक के कार्य हेतु नियुक्त किया जावेगा। चयनित उम्मीदवारों को प्रशिक्षण हेतु बुलाया जावेगा। चयनित उम्मीदवारों को प्रशिक्षण क्षमता के आधार पर चरणों में नियुक्ति आदेश जारी किये जावेंगे। चयनित उम्मीदवार को प्रशिक्षण में उपस्थित होना अनिवार्य होगा, यदि उम्मीदवार निर्धारित तिथि पर प्रशिक्षण में उपस्थित नहीं होता है तो उसका चयन निरस्त समझा जावेगा।
- 19- चयनित उम्मीदवारों को 3 माह का प्रशिक्षण (ट्रेनिंग) कक्षा प्रशिक्षण, मैदानी प्रशिक्षण एवं कार्य निष्पादन के दौरान प्रशिक्षण के माध्यम से दिया जावेगा। यदि उम्मीदवार प्रशिक्षण उपरांत किये गये मूल्यांकन में उत्तीर्ण नहीं होता है तो उसकी नियुक्ति निरस्त कर दी जावेगी।

नियुक्ति:

- 20- प्रशिक्षण सत्र सफलतापूर्वक पूर्ण करने के उपरांत उम्मीदवार को (प्रशिक्षण अवधि जोड़ते हुए), लाईन परिचारक (संविदा) पर तीन वर्ष के लिए अनुबंधित किया जावेगा।

आचरण के संबंध में सामान्य शर्तें:

21- प्रशिक्षण अवधि के दौरान एवं लाईन परिचारक (संविदा) पर अनुबंधित होने पर उम्मीदवार को समय-समय पर लागू/संशोधित आचरण संबंधी जारी निर्देशों का पालन करना आवश्यक होगा।

पदस्थापना एवं स्थानांतरण:

22- चयनित उम्मीदवारों को कंपनी अपने कार्य क्षेत्रांतर्गत आवश्यकतानुसार किसी भी स्थान पर स्थानांतरित कर सकेगी। संविदा नियुक्ति पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी विशेष के लिए होगी अतः मध्यप्रदेश की किसी अन्य विद्युत वितरण कंपनी में स्थानांतरण की अनुमति नहीं होगी।

पारिश्रमिक:

23- लाईन परिचारक (संविदा) पद के चयनित उम्मीदवारों को संविदा नियुक्ति पर प्रथम वर्ष में निश्चित सकल पारिश्रमिक रु.7000/-, द्वितीय वर्ष रु.8000/- एवं तृतीय वर्ष रु.9000/- प्रतिमाह की दर से देय होगा।

समूह बीमा:

24- अनुबंधित अवधि में लाईन परिचारक प्रशिक्षु (संविदा) समूह बीमा योजना के अंतर्गत सम्मिलित होगा। प्रशिक्षण/अनुबंध अवधि में जोखिम राशि रु.100000/- होगी व दुर्घटना हित लाभ भी लागू होगा। इस बीमा हेतु प्रीमियम की राशि कंपनी द्वारा भुगतान की जावेगी।

परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना:

25- अनुबंधित अवधि में लाईन परिचारक (संविदा) नई पेंशन योजना अथवा अन्य उपयुक्त योजना जो कंपनी द्वारा ग्राह्य की जावेगी के आधीन होगा, इस हेतु कर्मचारी द्वारा भुगतान किये जाने वाली वैधानिक अंश राशि की कटौती उसको भुगतान किये जाने वाले मासिक पारिश्रमिक से की जावेगी।

परिचय, चरित्र एवं जाति सत्यापन:

26- शारीरिक दक्षता परीक्षण पर उपस्थिति के समय उम्मीदवार को निम्नलिखित प्रमाणपत्र एवं अंकसूची मूलतः : एवं एक सत्यापित प्रति में प्रस्तुत करना अनिवार्य है:

1. शैक्षणिक योग्यता (10 वीं की अंक सूची)
2. व्यवसायिक योग्यता (आई.टी.आई विद्युत/लाईनमेन/वायरमेन ट्रेड) की अंक सूची एवं प्रमाणपत्र
3. एमपी आनलाईन के कियोस्क के माध्यम से भरे गए आवेदन पत्र का कम्प्यूटराईज्ड प्रिंट की मूल प्रति
4. एमपी आनलाईन के कियोस्क संचालक द्वारा प्रदत्त भुगतान की कम्प्यूटराईज्ड रसीद की मूल प्रति
5. मध्यप्रदेश राज्य का मूल निवासी प्रमाणपत्र
- 6- जाति प्रमाण पत्र (संबंधित क्षेत्रीय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) द्वारा जारी किया गया अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों हेतु)
7. पहचान परिचय पत्र (झायविंग लायसेंस/मतदाता पहचान पत्र/बैंक पासबुक/पासपोर्ट)

यदि लागू हो तो आवेदक आवश्यक रूप से प्रस्तुत करें:

- 8- ठेके पर कार्य हेतु कंपनी के साथ किये गये अनुबंध की प्रति जो कि मण्डल अथवा वितरण कंपनी के सहायक अभियंता या कनिष्ठ अभियंता द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित
9. मण्डल में कार्य के दौरान मृत कर्मचारियों के आश्रितों के संबंध में प्रमाण एवं मृतक कर्मचारी के आश्रित होने के संबंध में शपथपत्र
- 10- शासकीय/अर्द्ध शासकीय एवं निजी (प्रायवेट लिमिटेड) उपक्रम में कार्यरत उम्मीदवार का नियोक्ता द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र
11. भूतपूर्व सैनिक के संबंध में प्रमाणपत्र

उपर्युक्त प्रमाणपत्रों के सत्यापन पर यदि यह पाया जाता है कि उम्मीदवार निर्धारित मापदंड पूर्ण नहीं करता है तो उसकी उम्मीदवारी निरस्त की जावेगी।

सेवा अनुबंध-सह-जमानत अनुबंध:

27- लाईन परिचारक प्रशिक्षु (संविदा) को निर्धारित प्रारूप में रु.250/- के नान-ज्यूडीशियल स्टाम्प पेपर पर लाईन परिचारक (संविदा) का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूर्ण करने एवं कंपनी में उपस्थिति दिनांक से कम से कम तीन वर्ष तक कार्य करने हेतु अनुबंध करना होगा। यदि लाईन परिचारक प्रशिक्षु (संविदा)/लाईन परिचारक (संविदा) ऐसा करने में असफल होता है तो उम्मीदवार और जमानतदार संयुक्त रूप से अथवा पृथक-पृथक कंपनी को सामान्य श्रेणी के उम्मीदवार रु.25000/- एवं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार रु.20000/- का भुगतान करने हेतु उत्तरदायी होंगे।

अवकाश एवं छुट्टियाँ:

28- मध्यप्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा प्रत्येक वर्ष अवकाश दिवस अधिसूचित किए जावेंगे। अनुबंधित उम्मीदवार को अधिसूचित अवकाश की पात्रता होगी।

29- चयनित अनुबंधित व्यक्ति को कैलेन्डर वर्ष में 12 दिवस के आकस्मिक अवकाश एवं 15 दिवस के विशेष अवकाश की पात्रता होगी। अन्य किसी प्रकार के अवकाश की पात्रता नहीं होगी।

30- तीन माह की प्रशिक्षण अवधि में लाईन परिचारक प्रशिक्षु (संविदा) को अधिकतम तीन दिवस के आकस्मिक अवकाश की पात्रता होगी।

यात्रा:

31- प्रशिक्षण अवधि अथवा प्रशिक्षण अवधि के उपरांत लाईन परिचारक (संविदा) के रूप में अनुबंधित होने पर संबंधित को शासकीय कार्य से यात्रा हेतु कंपनी में लाईन परिचारक स्तर के कर्मचारी के अनुरूप नियमानुसार यात्रा भत्ता एवं दैनिक भत्ता की पात्रता होगी।

सेवा बंधन:

32- कंपनी से अनुबंधित लाईन परिचारक प्रशिक्षु (संविदा)/लाईन परिचारक(संविदा), कंपनी की लिखित अनुमति के बिना किसी अन्य रोजगार एवं आर्थिक लाभ से जुड़ी किसी भी व्यापारिक गतिविधियों से संलग्न नहीं होंगे। यदि उम्मीदवार इस कंडिका की अवहेलना में संलग्न पाया जाता है तो ऐसे अनुबंधित उम्मीदवार का अनुबंध बिना कारण बताये तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जावेगा।

सेवा शर्तें:

33- लाईन परिचारक प्रशिक्षु(संविदा)/लाईन परिचारक(संविदा) कंपनी की पालिसी एवं प्रचलित विधियों को अपनायेगा तथा अपने कार्य एवं आचरण से उच्च स्तरीय बनाये रखेगा। इसका उल्लंघन करने पर उसके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी, जिसमें कंपनी से उसकी सेवाएं समाप्त किया जाना भी सम्मिलित होगा।

गोपनीय सूचना:

34- लाईन परिचारक प्रशिक्षु(संविदा)/लाईन परिचारक(संविदा) में अनुबंधित व्यक्ति को प्रशिक्षण काल एवं कार्य के दौरान कंपनी द्वारा जो महत्वपूर्ण एवं गोपनीय जानकारी/सूचना आदि मिलती है, अथवा दी जाती है, तदाशय की गोपनीयता, अनुबंध अवधि अथवा अनुबंध समाप्ति के बाद भी प्रकट अथवा भंग नहीं करेगा।

35- संविदा पर अनुबंधित लाईन परिचारक (प्रशिक्षु) यह भी वचन देगा कि वह –

- (1) गोपनीय सूचना का उपयोग केवल कंपनी में अपने कर्तव्यों के निर्वहन के लिए करेगा, अन्य किसी भी कार्य हेतु नहीं।
- (2) गोपनीय जानकारी के संबंध में गोपनीयता बनाये रखेगा।
- (3) उद्देश्य की पूर्ति अथवा पृथक्करण, जो भी लागू हो, के उपरांत कंपनी को सभी दस्तावेज, जिसमें गोपनीय जानकारी (प्रतियों सहित) भी सम्मिलित है, लौटायेगा।

36- इस कंडिका हेतु गोपनीय सूचना से तात्पर्य – किसी भी तरह से प्राप्त ज्ञान अथवा जानकारी (मौखिक, लिखित, दृश्यव्य अथवा अन्य कम्प्यूटराईज हार्ड/साफ्ट प्रति) के रूप में जो कि कंपनी के व्यापारिक, संबंध, संचालन, संपत्ति, संगठन, लेन-देन, उपभोक्ता, कर्मचारी, अधिकारी एवं वित्त जिसमें प्रतिवेदन, सूचना, सलाह, अनुशांसा (किसी भी रूप में) हो, जो किसी भी अध्ययन, मूल्यांकन, प्रतिवेदन के होने की संभावना हो, से संबंधित है।

सूचना समयावधि:

37- प्रशिक्षण अवधि के दौरान कोई भी पक्ष बिना कारण बताये एक माह की पूर्व सूचना अथवा सूचना के स्थान पर एक माह का पारिश्रमिक जैसा भी हो दूसरे पक्ष को भुगतान कर अनुबंध समाप्त कर सकता है। अनुबंधित व्यक्ति द्वारा सेवा समाप्त करने की दशा में लागू बंधक (बॉंड) राशि भी देय होगी।

38- प्रशिक्षण अवधि के पश्चात अनुबंधित व्यक्ति बिना कारण बताये तीन माह की सूचना अथवा सूचना के स्थान पर तीन माह का पारिश्रमिक कंपनी को भुगतान कर संविदा सेवा समाप्त कर सकता है। इस स्थिति में भी उसे सेवा-सह-जमानत अनुबंध में अधिसूचित बंधक (बॉंड) राशि का भुगतान करना दायित्वाधीन होगा।

39- प्रशिक्षण अवधि के पश्चात यदि सक्षम अधिकारी द्वारा यह पाया जाता है कि अनुबंधित लाईन परिचारक (संविदा) का कार्यकलाप कंपनी हित में नहीं हैं अथवा उसकी कार्य क्षमता आशा के अनुरूप नहीं है तो संबंधित कंपनी द्वारा बिना कारण बताये एक माह की सूचना अथवा सूचना के स्थान पर एक माह का पारिश्रमिक अनुबंधित व्यक्ति को भुगतान कर उसकी संविदा सेवा समाप्त की जा सकती है।

40- कंपनी को यह अधिकार होगा कि वह अनुबंधित लाईन परिचारक का अनुबंध किसी भी समय बिना कारण बताये समाप्त कर सकती है।

न्यायिक क्षेत्राधिकार:

41- अनुबंध अवधि में चयन/नियुक्ति अथवा सेवा अनुबंध से संबंधित कोई भी विवाद जबलपुर स्थित न्यायालयों के क्षेत्राधिकार में ही मान्य होंगे।
